*वित्तीय समावेशन के माध्यम से संवृद्धि इंजन को पुन: चालू करना**

के. सी. चक्रवर्ती

श्री मौंटेक सिंह आहलुवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग, श्री यू के सिन्हा, अध्यक्ष सेबी, श्री समीर कोचर, अध्यक्ष स्कॉच समूह, कु. स्तुति कक्कर, सचिव विकलांग मामले विभाग, सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्रालय, श्री एस एस तारापोर, विशिष्ट फैलो, स्कॉच विकास फाउंडेशन, कु. चित्रा रामाकृष्णन, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, एनएसई; श्री भास्कर प्रमाणिक, अध्यक्ष, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, भारत, सम्मेलन में भाग ले रहे सहभागीगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, भाइयो और बहनो। मैं ''ईक्विटी के साथ 8 प्रतिशत संवृद्धि दर की पुनर्प्राप्ति'' विषय पर 32वें स्कॉच सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में आज यहां उपस्थित होकर प्रसन्नता और गौरव का अनुभव कर रहा हूं। इस सम्मेलन का विषय बहुत सामयिक है क्योंकि संवृद्धि दर में अस्थायी गिरावट ने हमें अपनी संवृद्धि नीतियों को यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से संवारने का मौका दिया है कि भावी आर्थिक संवृद्धि के लाभ समाज के सभी वर्गों तक, विशेष रूप से गरीब और वंचित लोगों तक पहुंचाए जा सकें। इस उद्देश्य के लिए हम जो भी नीति बनाते हैं, वह संवृद्धि दर को बढ़ाने पर केंद्रित होनी चाहिए। अतः इस सम्मेलन के लिए यह विषय चुनने के लिए मैं स्कॉच को बधाई देता हूं।

2. आज जो विद्वान उच्च संवृद्धि दर पर यहां बोलने वाले हैं, उनके अनुभव और ज्ञान को देखते हुए मैं हाल ही में उठाए गए अपने उन कदमों पर बात करूंगा जो समाज के गरीब और वंचित लोगों को वित्तीय समावेशन के दायरे में लाकर समान संवृद्धि के उद्देश्य से उठाए गए हैं। मैं ऐसी कुछ चुनौतियों के बारे में भी बात करूंगा जिनका हम वित्तीय समावेशन के मार्ग में सामना कर रहे हैं।

वित्तीय समावेशन के प्रति हमारा दृष्टिकोण

3. हमने वित्तीय समावेशन के लिए सुगठित और सुनियोजित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसका उद्देश्य मात्र वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में सुधार लाना ही नहीं है, बल्कि वित्तीय साक्षरता के माध्यम से वित्तीय सेवाओं की मांग को प्रोत्साहित करना भी है। वित्तीय समावेशन से संबंधित हमारे दृष्टिकोण की कुछ मुख्य बातें ये हैं -

- हमने वित्तीय समावेशन के लिए बैंक-नीत मॉडल अपनाया है, लेकिन इसमें बैंकों से सहयोग करने के लिए गैर-बैंक संस्थाओं को भी अनुमति प्रदान की है।
- हमने बैंकों को लोगों तक पहुंच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया है तथा वित्तीय सेवाओं की लागत न्यूनतम रखने के लिए कहा है। इस हेतु हमने बैंकों को कोई विशिष्ट प्रौद्योगिकी अपनाने की सलाह नहीं दी है, उनसे कहा है कि वे अपने कोर बैंकिंग सोल्यूशन के अनुरूप यथोचित प्रौद्योगिकी का उपयोग करें।
- एक विचारधारा के रूप में, हमने बैंकों को हमेशा इस बात के लिए प्रोत्साहित किया है कि वे वित्तीय समावेशन को सामाजिक सेवा या धर्मार्थ न मान कर वाणिज्यिक गतिविधि के तौर पर लें। यदि बैंकों को बैंकरहित क्षेत्रों में अपने परिचालनों को बढ़ाना है तो वित्तीय समावेशन कार्यों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता तथा स्वधारणीयता महत्वपूर्ण है।
- हमने बैंकों से कहा है कि वे वित्तीय समावेशन के अपने प्रयासों को विस्तार देने के लिए नवोन्मेषी व्यापार मॉडल तथा माध्यम अपनाएं। बैंकों के लिए यह जरूरी है कि वे ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में वित्तीय रूप से वंचित लोगों की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नए उत्पाद विकसित करें।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के संबंध में समर्थनकारी भूमिका अपनाई है। इसके लिए बैंकों के प्रयासों को समर्थन देने हेतु उचित विनियामक वातावरण सृजित करने के साथ-साथ संस्थागत सहयोग भी उपलब्ध कराया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने वित्तीय समावेशन को गति देने के लिए नीतियां बनाने हेतु बैंकों को स्वतंत्रता दी है तथा उन्हें अपनी वित्तीय समावेशन की योजनाओं के माध्यम से खुद के उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

* मुंबई में 6 जून 2013 को आयोजित 32 वें स्कॉच सम्मेलन में भारिबैं के उप गवर्नर डा. के. सी. चक्रवर्ती का भाषण

संस्थागत व्यवस्था

4. हमारी शक्ति इस तथ्य में निहित है कि देश भर में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए हमने मजबूत संस्थागत व्यवस्था उपलब्ध कराई है। वंचित लोगों की बड़ी संख्या तथा देश के भौगोलिक आकार को देखते हुए ऐसा करना बहुत जरूरी भी था। इस व्यवस्था में शामिल हैं-

- वित्त मंत्री की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद् का गठन. इसमें वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामकों के मुखियाओं को शामिल किया गया है, जिनकी अधिदेशी जिम्मेदारियों में वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सम्मिलित है।
- उक्त परिषद् के अंतर्गत वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी दल का भी गठन किया गया है, जिसमें सिर्फ वित्तीय क्षेत्र के विनियामक ही शामिल नहीं हैं, बल्कि शैक्षणिक बोर्ड तथा पाठ्यक्रम बनाने वाले भी शामिल हैं।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक उच्च स्तरीय वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति गठित की है जो सभी हितधारकों को वित्तीय समावेशन के संबंध में नीतिगत दिशा देने पर ध्यान केंद्रित करती है।
- बैंकों के स्तर पर शक्तिशाली संस्थागत तंत्र भी विकसित किया गया है, जिसमें 35 राज्य-स्तरीय बैंकर समितियां, 644 अग्रणी जिला प्रबंधक तथा एक लाख से अधिक बैंक शाखाएं शामिल हैं।
- वित्तीय समावेशन के उपायों के पूरक के तौर पर वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए 700 वित्तीय साक्षरता केंद्र तथा ग्रामीण स्व-नियोजन प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं।

वित्तीय समावेशन के संबंध में हाल में उठाए गए कदम

5. पिछले वर्षों में वित्तीय समावेशन संबंधी उपायों से प्राप्त अनुभवों को देखते हुए वित्तीय समावेशन की प्रगति को गति देने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने कुछ और कदम उठाए हैं -

- हमने वित्तीय समावेशन के प्रति बैंकों को उच्च स्तर पर प्रतिबद्धता के साथ बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजना के माध्यम से सुगठित और सुनियोजित दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। ऐसी योजना का पहला चरण 2010-13 की अवधि में कार्यान्वित किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक स्तर पर वित्तीय समावेशन पहल के लिए आधार के रूप में उक्त योजना का उपयोग कुछ निम्नलिखित कदमों के माध्यम से किया-
  - बैंकों से यह कहा गया कि वे 2013-16 की अवधि के लिए बोर्ड से अनुमोदित योजना बनाएं।
  - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 2011 में सीबीएस के अंतर्गत आ जाने के बाद, उनसे भी व्यापक वित्तीय समावेशन योजनाएं बनाने के लिए कहा गया।
  - बैंक शाखाओं के वित्तीय समावेशन संबंधी कार्यनिष्पादन पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बैंकों से कहा गया है कि वे अपनी उक्त योजनाओं को नियंत्रक कार्यालयों की निगरानी में सौंपें।
  - वित्तीय समावेशन के संबंध में बैंकों की अपनी योजनाओं के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए रिज़र्व बैंक ने सुगठित तथा व्यापक निगरानी प्रणाली स्थापित की है। बैंकों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों के साथ यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से वार्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं कि वित्तीय समावेशन प्रक्रिया को शीर्ष प्रबंध तंत्र का समर्थन और प्रतिबद्धता मिले।
- वर्ष 2013-14 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में बैंकों से इस बात पर विचार करने के लिए कहा गया था कि वे बैंकरहित तथा ग्रामीण केंद्रों में प्राथमिकता के आधार पर शाखाएं खोलने की तीन वर्षीय ऐसी योजना बनाएं जो वित्तीय समावेशन की उक्त योजना के साथ-साथ समाप्त हो।
- मार्च 2012 तक 2000 तथा उससे ऊपर की जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में एक शाखा के जरिये बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य की सफल प्राप्ति के बाद, राज्य स्तरीय बैंकर समितियों से यह कहा गया कि वे 2000 से कम जनसंख्या वाले सभी बैंकरहित गांवों में समयबद्ध रूप से बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए कार्य-योजना बनाएं। इस कार्य-योजना

के अंतर्गत राज्य स्तरीय बैंकर समितियों ने ऐसे 4,85,000 गांवों की पहचान की है और उन्हें बैंकों को आबंटित कर दिया गया है।

- वित्तीय साक्षरता के जरिये वित्तीय समावेशन के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाया गया है. वित्तीय साक्षरता केंद्र और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ग्रामीण शाखाओं से यह कहा गया है कि वे कम से कम माह में एक बार बाहरी वित्तीय साक्षरता शिबिर आयोजित करें।
- इन वित्तीय साक्षरता शिविरों के माध्यम से वित्तीय रूप से वंचित लोगों तक संदेशों की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक व्यापक वित्तीय साक्षरता गाइड जारी की है जिसमें प्रशिक्षकों के लिए मार्गदर्शन, वित्तीय साक्षरता शिविर संचालित करने के लिए दिशानिर्देश तथा वित्तीय साक्षरता सामग्री शामिल है।
- सरकार की सीधे लाभ अंतरण योजना को सुगम बनाने की दृष्टि से बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे -
    - इन शिविरों में सभी पात्र लोगों के खाते सरकारी प्राधिकारियों की सहायता से खोलें
    - नए और विद्यमान सभी खातों को आधार नंबर से जोड़ें
    - सीधे लाभ अंतरण के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने और उस पर निगरानी रखने के लिए कारगर व्यवस्था कायम करें
- इस बात पर बल दिया जा रहा है कि बीसी केंद्रों के मुकाबले ईंट और मोर्टार से बनी शाखाओं का अनुपात बढ़ाया जाए। इस प्रयोजन से सभी नई शाखाओं की 25 प्रतिशत शाखाएं बैंकरहित ग्रामीण केंद्रों में खोलने तथा इंटरमीडिएट ईंट और मोर्टार ढ़ांचे वाली शाखाएं खोलने के लिए दिशानिर्देश जारी किये जा चुके हैं।
- अधिक बल नए खुले बैंक खातों में लेनदेनों की संख्या बढ़ाने पर दिया जा रहा है. वित्तीय समावेशन योजना की प्रगति पर निगरानी रखने के फार्मेट को संशोधित किया गया है और उसमें बीसी के माध्यम से बचत, ऋण तथा ईबीटी खातों में लेनदेनों की विस्तृत जानकारी देना शामिल किया गया है। इसके अलावा, बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे वित्तीय समावेशन संबंधी गतिविधियों पर आने वाली लागत पर भी नजर रखें।

वित्तीय समावेशन की चुनौतियां

6. जहां वित्तीय समावेशन की व्यापकता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं कुछ कारक प्रगति में बाधक भी बने हुए हैं। अब मैं उन कुछ प्रमुख मुद्दों पर आता हूं, जिनका सामना सभी को वित्तीय समावेशन के दायरे में लाने के काम से जुड़े लोगों को करना पड़ता है-

- सभी लोगों की वित्तीय पहुंच से संबंधित लक्ष्य पर बैंकों के बोर्डों/शीर्ष प्रबंध तंत्र का पूरा ध्यान और प्रतिबद्धता अभी भी मिलनी बाकी है। अकसर इसका कारण इस वास्तविक विश्वास का अभाव होना है कि वित्तीय समावेशन लाभप्रद व्यवसाय भी हो सकता है। मैंने हमेशा यह कहा है कि वित्तीय समावेशन के उपायों पर आने वाली लागत को व्यय मानने के बजाय निवेश के रूप में लिया जाना चाहिए। साथ ही, इस व्यय की तुलना इसके वर्तमान/भावी लाभों से की जानी चाहिए।
- एक प्रमुख चुनौती यह है कि बैंकों को अपने वित्तीय समावेशन संबंधी उपायों को दिशा देने के लिए वहनीय, मापनीय व्यावसायिक तथा सुपुर्दगी मॉडल अभी भी विकसित करने हैं। यद्यपि कई वैकल्पिक मॉडलों का प्रायोगिक प्रयोग किया गया है, तथापि अब समय आ गया है कि बैंक अपने लक्ष्यों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मॉडल तैयार कर लें तथा उन्हें व्यवहार में लाएं।
- वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में सुधार आया है, पर वित्तीय आधारभूत ढांचा अभी भी धीरे-धीरे विकसित हो रहा है. देश में 2.70 लाख से अधिक बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाली शाखाएं/केंद्र उपलब्ध हैं, लेकिन इन खातों में किए जाने वाले लेनदेनों की संख्या प्रभावी नहीं है। उदाहरण के लिए, लगभग आधे मूलभूत बचत बैंक जमा खातों में कोई भी लेनदेन नहीं हो रहा है। इससे न केवल वित्तीय सुविधाओं तक पहुंच में वृद्धि से होने वाले लाभ सीमित होकर रह जाते हैं, बल्कि बैंकों और बीसी के लिए वित्तीय समावेशन गतिविधियों की व्यवहार्यता भी कम होती

है। इसके परिणामस्वरूप, मॉडल की मापनीयता पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे वित्तीय समावेशन के प्रयास बाधित होते हैं।

- **प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दे** : हालांकि बैंकों ने प्रौद्योगिकी में नवोन्मेष लाया है, तथापि इससे वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने की लागत में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई है। लाभभोगी/हितधारक अकसर यह शिकायत करते हैं कि डिजिटल/भौतिक कनेक्टिविटी बाधित रहती है। साथ ही, स्मार्ट कार्ड जारी करने में देरी, हैंडहेल्ड डिवाइस जैसे बुनियादी हार्डवेयर की विश्वसनीयता से संबंधित मुद्दों के कारण देश भर में तेजी से वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने में बाधा उत्पन्न हो रही है। यह वास्तव में दु;खदायक बात है कि विश्व भर में सॉफ्टवेयर सेवाएं उपलब्ध कराने वाला भारत हमारी खुद की वित्तीय समावेशन गतिविधियों के लिए विश्वसनीय सॉफ्टवेयर समाधान विकसित करने और बैकऑफिस सेवाएं प्रदान करने में समर्थ नहीं हो सका है।
- बैंक खातों को आधार नंबरों से जोड़ने की प्रक्रिया में बहुत सी बाधाएं आ रही हैं जिससे सरकार की सीधे लाभ अंतरण की योजना के कार्यान्वयन पर विपरीत असर पड़ सकता है।
- अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि समाज और सभी हितधारकों में संयुक्त इच्छा शक्ति का अभाव है, जिसकी वजह से संपूर्ण वित्तीय समावेशन अभी भी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा में परिणत नहीं हो सका है।

निष्कर्ष

7. भौगोलिक रूप से हमारे जैसे बड़े तथा बड़ी जनसंख्या वाले देश में वित्तीय समावेशन का कार्य निश्चित तौर पर एक चुनौती है। हाल ही में जारी भारत की जनसंख्या से संबंधित आंकड़े यह दर्शाते हैं कि केवल 58.7 प्रतिशत घर ही बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाते हैं जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 54.4 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 67.8 प्रतिशत की बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच है। यद्यपि सभी को वित्तीय सेवाओं के दायरे में लाने के लक्ष्य को प्राथमिकता देने के महत्व के बारे में नीति-निर्माताओं तथा वित्तीय क्षेत्र के सहभागियों के बीच जागरूकता बढ़ी है, तथापि जरूरत इस बात को सुनिश्चित करने की है कि इन अपेक्षाओं के अनुरूप वास्तविक प्रगति भी हो। बैंक खाता खोलना मात्र पहला चरण है और अब सिर्फ बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने पर ही ध्यान केंद्रित नहीं किया जा रहा, बल्कि वित्तीय ढांचे के बेहतर उपयोग पर भी बल दिया जा रहा है। इस संबंध में, वित्तीय समावेशन के साथ वित्तीय साक्षरता को जोड़ने तथा लेनदेनों की प्रगति पर निगरानी रखने के संयुक्त दृष्टिकोण से यह आशा की जाती है कि वित्तीय समावेशन खातों के परिचालन में तेजी आएगी।

8. इस कार्य की विशालता को देखते हुए, इस चुनौतीपूर्ण कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए समाज की संयुक्त इच्छा-शक्ति की जरूरत है। नीति-निर्माताओं, विनियामकों, राज्य तथा जिला प्रशासकों, सूचना प्रौद्योगिकी उपलब्ध करने वालों, नागरिक समाज, मीडिया और जनता सहित सभी हितधारकों को साथ आना होगा और वंचित लोगों को वित्तीय सेवाओं के दायरे में लाने तथा सार्थक वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पाने के लिए अपनी पूरी सामूहिक शक्ति से जुट जाना होगा।

धन्यवाद।

संलग्नक

वित्तीय समावेशन की प्रगति

क्रम सं.	ब्योरे	मार्च 2010 को समाप्त वर्ष	मार्च 2011 को समाप्त वर्ष	मार्च 2012 को समाप्त वर्ष	मार्च 2013 को समाप्त वर्ष	प्रगति अप्रैल 2010- मार्च 2013
1	बैंकिंग केंद्र-ग्रामीण शाखाएं	33378	34811	37471	40845	7467
2	बैंकिंग केंद्र-बीसी	34174	80802	141136	221341	187167
3	बैंकिंग केंद्र-अन्य तरीके	142	595	3146	8424	8282
4	बैंकिंग केंद्र-कुल	67694	116208	181753	270610	202916
5	बीसी वाले शहरी स्थान	447	3771	5891	27124	26677
6	बीएसबीडी खाते (संख्या लाखों में)	734.53	1047.59	1385.04	1833.30	1098.77
7	बीएसबीडी खाते जिनमें ओवर-ड्राफ्ट सुविधा ली गई (संख्या लाखों में)	1.83	6.06	27.05	39.42	37.59
8	केसीसी संख्या (लाखों में)	243.07	271.12	302.35	337.87	82.43
9	जीसीसी (संख्या लाखों में)	13.87	16.99	21.08	36.29	22.28
10	बीसी-आइसीटी खाते (संख्या लाखों में)	132.65	316.30	573.01	810.38	677.73
11	आइसीटी-बीसी खाते-कुल लेनदेन (संख्या लाखों में)	265.15	841.64	1410.93	2546.51	4799.08